संचिका सं. :–03/SBM01-03/2016 1325 /न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग।

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

सभी नगर आयुक्त, नगर निगम,
सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद,
सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत।

पटना, दिनांक :– 24/5/19

विषय :– **माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) द्वारा पारित आदेश सं.–O.A. No.-606/2018, दिनांक–15.03.2019 के आलोक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के क्रियान्वयन के तहत Sanitary Landfill विकसित करने हेतु सरकारी भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में नगर निकायों द्वारा भूमि क्रय करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT), नई दिल्ली द्वारा O.A. No.-606/2018 में दिनांक–15.03.2019 को पारित आदेश के आलोक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 का क्रियान्वयन निर्धारित समय–सीमा में संपन्न कराने का निदेश दिया गया है।

विदित हो कि विभागीय संकल्प–5808, दिनांक–26.11.2015 द्वारा सभी नगर निकायों में विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सरकारी/नगर निकाय की भूमि अनुपलब्ध रहने की स्थिति में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–99 के आलोक में बाजार दर पर रैयती भूमि क्रय करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। Sanitary Landfill विकसित करने हेतु सरकारी भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में संकल्प में वर्णित कंडिकाओं के अनुरूप भूमि का क्रय निम्नवत् मापदंड के अनुसार कर सकते हैं :–

क्र.सं.	निकाय का प्रकार	अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण (एकड़ में)	शहर से मान्य दूरी	अभियुक्ति
1.	नगर निगम	10 एकड़	10 किमी. (Population less)	भूमि का प्रकार :– • रैयती भूमि
2.	नगर परिषद	05 एकड़	05 किमी. (Population less)	
3.	नगर पंचायत	2.5 एकड़	03 से 05 किमी. (Population less)	

भूमि क्रय करने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के आलोक में भूमि भरण स्थल गंगा एवं इसकी शाखा नदी से 500 मीटर और अन्य नदियों से 100 मीटर, तालाब से 200 मीटर, राजमार्गों, आवास स्थलों, सार्वजनिक उद्यानों और जल आपूर्ति कुंओं से 200 मीटर तथा विमानपत्तनों या हवाई अड्डे से 20 किमी. की दूरी पर होंगे। तथापि, विशेष मामले में, भूमि भरण स्थल को नागर विमानन प्राधिकरण/वायु सेना, जैसा भी मामला हो, से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने के बाद विमानपत्तन/हवाई अड्डे से 10 और 20 किमी. की दूरी के अंदर स्थापित किया जा सकता है। तटीय विनियम जोन, नमभूमि, महत्वपूर्ण आवासीय क्षेत्रों, संवेदनशील पारि–भंगुर क्षेत्रों और गत 100 वर्षों से यथा दर्ज बाढ़ के मैदानों के अंदर भूमि भरण स्थल के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। Landfill Site की क्षमता 5 टन प्रति दिन से अधिक होने पर इसके लिए उपयोग में लायी जानी वाली भूमि अंतर्गत 'बफर जोन' (Buffer Zone) के निर्धारण हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद से संपर्क करेंगे तथा इसका निर्धारण सुनिश्चित करें।

उल्लेखनीय है कि NGT द्वारा Sanitary Landfill विकसित करने के लिए 06 माह का समय–सीमा निर्धारित किया गया है एवं इस कार्य को आदर्श आचार संहिता में भी क्रियान्वयन हेतु निर्वाचन विभाग के पत्रांक–2265, दिनांक–29.03.2019 द्वारा सहमति प्रदान की गई है (प्रति संलग्न)।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

24/5/2019

विश्वासभाजन,

प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

662

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
संकल्प

विषयः– राज्य के नगर निकायों को विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सरकारी/नगर निकाय की भूमि अनुपलब्ध रहने की स्थिति में बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 99 के आलोक में बाजार दर पर रैयती भूमि क्रय की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य योजना अन्तर्गत राज्य के विभिन्न नगर निकायों में नगर सरकार भवन/प्रशासनिक भवन, बस स्टैण्ड, सामुदायिक भवन, अतिथि भवन, विवाह भवन, टाउन हॉल, पार्क निर्माण, पाईप जलापूर्ति हेतु जलमिनार का निर्माण, सिवरेज हेतु पम्पिंग स्टेशन का निर्माण, सार्वजनिक शौचालय, रैन बसेरा, मलिन बस्तियों में आधारभूत संरचना विकास इत्यादि के निर्माण हेतु सरकार द्वारा राशि आवंटित की जा रही है ताकि शहरों का विकास हो सके तथा सामाजिक/सांस्कृतिक समारोहों को सुसज्जित भवनों में आयोजित किया जा सके। परंतु शहरों के विकास के लिए इन योजनाओं के कार्यान्वयन में भूमि की अनुपलब्धता के कारण बाधा आ रही है। कई नगर निकायों में प्रशासनिक भवन/नगर सरकार भवन के निर्माण के लिए नगर क्षेत्र में सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है और विभाग द्वारा आवंटित राशि बिना उपयोग के पड़ी हुई है।

2. स्पष्ट है कि नगर निकायों में विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु भूमि की आवश्यकता हो रही है। कई नगर निकायों में अपनी भूमि है। परंतु कुछ नगर निकायों में भूमि उपलब्ध नहीं होने पर सरकार द्वारा राज्य योजनान्तर्गत विकास कार्यों हेतु उपलब्ध करायी जा रही राशि निरर्थक पड़ी रहती है।

3. अतः ऐसे नगर निकाय जहाँ उपर्युक्त विभागीय योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सरकारी/नगर निकायों की भूमि उपलब्ध नही है, वैसे नगर निकायों को बाजार दर पर भूमि क्रय की स्वीकृति निम्नलिखित शर्त्तों के साथ प्रदान की जाती है:–

i) योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आवश्यकतानुसार भूमि का क्रय बाजार दर की अधिसीमा पर किया जाएगा।

ii) बाजार दर विचाराधीन वित्तीय वर्ष में किसी खास भूखण्ड के लिए जिला निबंधन कार्यालय द्वारा निर्धारित दर के समतुल्य होगा।

iii) आवश्यकतानुसार भूमि का क्रय सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा अपने संसाधनों से, अथवा बाज़ार–ऋण (यथा बैंक, हडको आदि) की सहायता से किया जाएगा, जिसमें संबंधित भू–खण्ड को बंधक रखा जा सकता है। अतः राज्य सरकार के गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी।

iv) क्रय किए गए भूखण्डों का पूर्ण स्वामित्व संबंधित नगर निकायों का होगा।

4. संबंधित नगर निकायों द्वारा भूखण्डों का क्रय पब्लिक 'रूचि की अभिव्यक्ति' (इ०ओ०आई०) के माध्यम से किया जाएगा। भूखण्ड की कीमत का भुगतान आर०टी०जी०एस० के माध्यम से होगा तथा भूखण्ड का विधिवत निबंधन किया जाएगा एवं संबंधित ड्यूटी, शुल्क आदि जमा की जाएगी।

5. बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 99 द्वारा नगर निकायों को भूमि क्रय करने की शक्ति प्राप्त है।

6. बिहार राज्य आवास बोर्ड के लिए भूमि क्रय करने संबंधी सामान्यतः समरूप नीति पूर्व से मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित है तथा तद्नुरूप विभागीय संकल्प संख्या– 213, दिनांक– 19.06.2014 निर्गत है।

7. मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 25.08.2015 के मद संख्या 16 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाये एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षो/प्रमंडलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/नगर निकायों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

25.11.15

(अमृत लाल मीणा),
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः 2ब०/नि0भ0–21–03/2015 5808 /न0वि0 एवं आ0वि0/पटना, दिनांकः 26/11/15

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी 500 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जायें।

25.11.15

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः 2ब०/नि0भ0–21–03/2015 5808/न0वि0 एवं आ0वि0/पटना, दिनांकः 26/11/15

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/ महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग/विभागाध्यक्ष, बिहार सरकार/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/महालेखाकार, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद/सभी नगर पंचायत/प्रबंध निदेशक, बुडको, बिहार राज्य आवास बोर्ड तथा बिहार राज्य जल पर्षद/कोषागार पदाधिकारी, सभी कोषागार, बिहार/सभी विभागीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.11.15

सरकार के प्रधान सचिव।